

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में फिरोजाबद में जल निकासी के कार्यों हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2223/सा0प्र0/2016-17, दिनांक 25.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-36/2016/524/नौ-5-16-21बजट/16, दिनांक 09 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में फिरोजाबद में जल निकासी के कार्यों हेतु 41 विभिन्न नालों के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 1654.36 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किशत के रूप में अवशेष धनराशि ₹ 413.59 लाख (रु0 चार करोड तेरह लाख उनसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0	जनपद	नगर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किशत/ आगामी किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	36/2016/524/नौ-5-16-21बजट/16, दिनांक 09 मार्च, 2016	1654.36	1240.77	413.59
योग						413.59

(₹ चार करोड तेरह लाख उनसठ हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित मण्डल/जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- (2) निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

- (4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- (5) शासनादेश संख्या-36/2016/524/नौ-5-16-21बजट/16, दिनांक 09 मार्च, 2016, जिसके द्वारा सन्दर्भित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-गलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-04-फिरोजाबाद में जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पित्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवेदीय,

(उमाशंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-382/2016/3860 (1)/नौ-5-16-21बजट/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 9- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-29/12/2016


प्रेषण संख्या:- 382
आवंटन आदेश संख्या:- 001-382-2016-3860-9-5-16-21B-2016
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
04 - फिरोजाबाद में जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	41359000 41359000	41359000 41359000
	योग	वर्तमान प्रगामी	41359000 41359000	41359000 41359000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी